राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.11(8)नविवि/3/2020 जयपुर, दिनांकः 03 JUN 2022

आदेश

राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू–उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम–2021 के नियम 2 के उपनियम (3) की टिप्पणी क्रमांक II के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की 169वीं बैठक दिनांक 04.05.2022 में लिए गए निर्णय के क्रम में एतद्द्वारा निम्नानुसार आदेश/परिपत्र प्रसारित किये जाते हैः–

"राज्य के समस्त शहरों के मास्टर प्लान/जोनल डवलपमेंट प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोग यथा– पार्क, खुले–स्थल, ईको–सेंसिटिव जोन, प्लानटेंशन जोन एवं ईकोलोजिकल जोन तथा जयपुर एवं उदयपुर मास्टर प्लान एवं अन्य शहरों के मास्टर प्लान के अन्तर्गत G-1 & G-2 एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित प्रतिबंधित क्षेत्र को छोडकर नगरीय क्षेत्र में अन्य सभी भू–उपयोगो में केन्द्र/राज्य सरकार की योजनाओं के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर प्रस्तावित राजकीय कार्यालयों, राजकीय सामुदायिक भवन, राजकीय शैक्षणिक, राजकीय चिकित्सा एवं सामाजिक सुविधाऐं, सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रशिक्षण संस्थान, रीजनल/सिटी लेवल पार्क व अन्य खुले स्थल, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति पार्क, खेल–मैदान, स्टेडियम (इनडोर/ऑउट डोर), स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, जनउपयोगी सुविधाऐं यथा– सीवरेज ट्रिटमेंट प्लांट, ग्रिड सब–स्टेशन, जल आपूर्ति केन्द्र, वॉटर फिल्टर एवं ट्रिटमेंट प्लाट, पुलिस लाईन, पुलिस चौकी/थाना,एडाकघर, टेलीफोन एक्सजेंज, अग्निशमन केन्द्र, श्मशान, कब्रिस्तान, पार्किंग स्थल, बस स्टैण्ड/बस स्टॉप, हेलीपेड, रेलवे/आर्मी विभाग की भूमि पर उनके द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग, टॉउन हॉल, डेयरी बूथ, सुलभ शौचालय इत्यादि सुविधाऐं अनुज्ञेय किये जा सकते हैं। इसके लिए भू–उपयोग परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में समस्त क्षेत्रफल हेतु स्थानीय निकाय स्तर पर प्रकरणों में निर्णय लिया जाकर, निर्णय की राज्य सरकार से स्वीकृति उपरान्त राजकीय विभागों एवं प्राधिकरणों/न्यासों/स्थानीय निकायों द्वारा नियमानुसार आंवटन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी।"

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वयत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को उनके अधीन समस्त नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका को निर्देशित किये जाने हेतु।
5. संयुक्त शासन सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त।
9. उप विधि परामर्शी/उप नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम